जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा

राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांक 12 सितम्बर 2026

राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर शीघ्र सुलभ व सस्ता न्याय पायें।
न्याय शुल्क वापस प्राप्त कर आपसी भाईचारा बढ़ायें

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

- माननीय मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार सम्पूर्ण भारत वर्ष में तहसील से लेकर माननीय उच्चतम न्यायलय के स्तर तक।
- राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक **12 सितम्बर 2026** में किसी भी न्यायलय अथवा विभागीय मामलों को सुलह–समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु आवेदन–पत्र देकर अन्तिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लम्बित मामले से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर।
- त्वरित, सस्ता, सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है।

लोक अदालत के लाभ

- पक्षो के मध्य आपसी सुलह–समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण।
- पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।
- लम्बित मामलो के लोक अदालत मे निस्तारण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं।
- कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौता पर आधारित

राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किये जाने योग्य वाद/प्रकरण

राष्ट्रीय लोक

सन्धि का आधार

- सुलह योग्य फौजदारी वाद
- दीवानी वाद
- भरण पोषण वाद
- वैवाहिक/पारिवारिक वाद
- स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद
- चकबन्दी वाद
- मोटर दुर्घटना प्रतिकार वाद
- श्रम वाद
- उपभोक्ता फोरम वाद
- भूमि अधिग्रहण वाद
- बाट माप (प्रचलन) अधिनियम के अन्तर्गत चालान
- ई–चालान
- कराधान प्रकरण
- ऋण वसूली अधिकरण मामले

- बैंक रिकवरी वाद
- किरायेदारी वाद
- चेक बाउन्स से सम्बन्धित धारा 138 एन.आई.एक्ट
- उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र सम्बन्धित मामले
- बिजली चोरी से सम्बन्धित शमनीय वाद एवं धारा 138 विद्युत अधिनियम प्रकरण।
- नगर पालिका/नगर निगम सम्बन्धी जलकर/गृह कर मामले
- सेवा एवं सेवा निवृत्ति के परिलाभों से सम्बन्धित मामले
- राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत मामले
- मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत चालान
- विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत चालान
- धारा446द.प्र.स. सम्बन्धी प्रकरण
- अन्तिम आख्या के मामले

- प्रकीर्ण/सिविल/वाणिज्यिक अपील धारा 256 सी.आर.पी.सी. के मामले
- अभिवाक् सौदेबाजी (Plea Bargaining) हेतु शमन वाद
- प्री–लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे वाद जिसमे निष्पादन योग्य डिक्री पारित हो।
- स्थानीय विधियों के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद
- वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण
- पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत शमनीय वाद
- उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान
- रेलवे बाधा सम्बन्धी प्रकरण
- मनरेगा प्रकरण
- स्थायी लोक अदालत के मामले
- अन्य उपयुक्त वाद/प्रकरण

किसी भी लम्बित वाद/विवाद/शिकायत को राष्ट्रीय लोक अदालत मे सुलह–समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु सम्बन्धित फोरम/अधिकरण मे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जनपद न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा से सम्पर्क कर अपने विवाद को निस्तारित करा सकते है।

अंकिता सिंह–I
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गोण्डा

दानिश हसनैन
अपर जिला जज तृतीय/
नोडल अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत, गोण्डा

दुर्ग नरायन सिंह
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गोण्डा